मेडिकल इन्शोरेंस

इस्लामी शरीअत में जुवे की कोई भी शक्ल जायज़ नहीं। इस समय मेडिकल इन्शेरेंस की जो सूरत प्रचलित है वह अपने नतीजे के हिसाब से जुवे में शामिल है और उसने इलाज को सेवा की बजाए लाभ और व्यापार बना दिया है। इस परिपेक्ष में सेमिनार ने मेडिकल इन्शोरेंस के बारे में निम्न फ़ैसले किए हैं:

1- मेडिकल इन्शोरेंस, इन्शोरेंस के दूसरे तमाम स्थलों की भान्ति निःसन्देह विभिन्न प्रकार के नाजायज़ मामलों पर आधारित है। अतः आम हालात में मेडिकल इन्शोरेंस नाजायज़ है और इस हुक्म में सरकारी, ग़ैर सरकारी संस्थानों में कोई फ़र्क़ नहीं है।

2- यदि क़ानूनी मजबूरी के तहत मेडिकल इंशोरेंस अनिवार्य हो तो इस की गुंजाइश है लेकिन जमा की गई रक़म से अधिक जो इलाज में ख़र्च हो खाते पीते व्यक्ति के लिए उसके जितनी (रक़म) बिना सवाब की नीयत के सदक़ा करना वाजिब है।

3- वर्त्तमान प्रचलित इन्शोरेंस का विकल्प इस्लामी शिक्षाओं की रौशनी में संभव है और आसान सूरत यह है कि मुसलमान ऐसे संस्थान व व्यवस्था स्थापित करें जिनका उद्देश्य इलाज व मुआलजा के ज़रूरत मन्दों की उनकी ज़रूरत के अनुसार मदद करना हो।

☆☆☆

नोटः 15 वां फ़िक़्ही सेमिनार (मैसूर, कर्नाटक) दिनांक 10-12 सफ़र 1427 हि0 - 11-13 मार्च 2006 ई0